न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।
बनाम
अजय कुमार।

आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा, केस संख्या– 376/2020–21,

केस का प्रकार– बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त ग्लेमर मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-50E-2523 **के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।**

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक 29/म0नि0 एवं दिनांक–09.01.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव विशेष वाद संख्या– 546/2019, में जप्त चुलाई शराब के विनष्टीकरण एवं ग्लेमर मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-50E-2523 के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–कुम्हरा घाट वार्ड नं0 01, थाना–बिहरा, घटना की तिथि– 10.11.2019 के साथ वर्णित है कि– "मद्यनिषेध अभियान के तहत अपने अधीनस्थ उत्पाद कर्मी प्रतिनियुक्त सैप व गृह रक्षक के साथ उपयुक्त अंकित स्थान पर लगभग पौने सात बजे सुबह में कुम्हराघाट तुनियाही मार्ग के कुम्हराघाट के पास संदिग्ध अवस्था में एक मोटर साईकिल पर उजले रंग का बोरा बंधा हुआ देखा। अवैध शराब बंधे होने के शक के आधार पर विधिवत रोका। अगल–बगल व्यक्ति उपस्थित नहीं होने के कारण अपने टीम में से दो गृह रक्षक को स्वतंत्र साक्षी मानकर टीम के सभी सदस्यों ने अपना–अपना जमातलाशी उपरांत रोके गए व्यक्ति व गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी उपरांत BR-50E-2523 ग्लेमर पर बंधे बोरे में देशी म0च0श0 के 500 एम0एल0 का बीस पीस एवं गाड़ी के डिक्की में 500 एम0एल0 का 10 पीस पोलिथीन में बंधा पाया। शराब व गाड़ी ग्लेमर को जप्त किया। तत्पश्चात् बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2018 की धारा 30(ए) के अन्तर्गत जप्ती सूची व गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी ज्ञाप तैयार की गई। आवश्यक कार्रवाई घटना स्थल पर विधिवत सम्पन्न की गई। जप्ती सूची की एक प्रति अभियुक्त को दी गई।"	

प्राप्त प्रस्ताव में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए जप्त शराब के विनिष्टीकरण एवं जप्त ग्लेमर मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-50E-2523 के अधिहरण करने हेतु अनुरोघ किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त ग्लेमर मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-50E-2523 के अधिहरण के बिन्दु पर वाहन मालिक (प्रतिवादी) को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

वाहन मालिक (प्रतिवादी) अजय कुमार, पिता– मंगल मरांडी, साकिन– कुम्हराघाट, थाना– बिहरा वार्ड नं० 01, जिला– सहरसा का नोटिस तामिला प्राप्त होने के बाद भी वे अनुपस्थित रहे। उनके अनुपस्थित रहने से उनके मंतव्य से अवगत नहीं हुआ जा सका।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि वाहन का प्रयोग शराब के अवैध परिवहन में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त ग्लेमर मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-50E-2523 को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँकि जप्त वाहन में अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में उक्त वाहन ग्लेमर मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-50E-2523 को अधिहरण करना विधिसम्मत् प्रतीत होता है। अतः उक्त वाहन को राज्य के पक्ष में अधिहरण हेतु आदेशित किया जाता है।

अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत् निलामी कर बिक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद सहरसा को एवं सूचनार्थ पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भी भेजें।

इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता
सहरसा।

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 1066 /न्याया०,   सहरसा, दिनांक 23.12.20

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

23.12.20

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
23/12/20